संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्यप्रदेश

पत्रकार कालोनी, लिंक रोड नं-3 भोपाल-462016

ईमेल- dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/I/264165/2025 16-05-2025

प्रति

प्रीति कोठारी
वैज्ञानिक एफ
वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.)
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सी एवं डी विंग प्रथम तल सतपुडा भवन भोपाल

विषय:- विवाह पोर्टल पर नवीन संशोधन करने हेतु निम्न बिन्दुओं पर अभिमत के संबंध में ।

---00---

उपरोक्त विषय संदर्भ में आपका ईमेल दिनांक **05** मई **2025** द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना के विवाह पोर्टल पर नवीन संशोधन करने हेतु निम्न बिन्दुओं पर विभागीय अभिमत निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्रमांक		अभिमत
1	जिन निकायों जिलों में **15** मई के उपरांत की विवाह/निकाह कार्यक्रम की तिथि पोर्टल पर दर्ज है एवं **200** से अधिक आवेदन दर्ज है , उन प्रकरणों में पोर्टल पर क्या कार्यवाही अपेक्षित है?	नवीन निर्देश क्रमांक I/246629/2025/26-2 दिनांक 29-04-2025 के अंतर्गत एक जिले में एक तिथि में अधिकतम **200** जोड़ो का प्रावधान है, उसके अनुरूप कार्यवाही की जावे। पोर्टल पर दर्ज प्रथम **200** पात्र आवेदनों को उस तिथि में सम्मिलित किया जायें। (विवाह/निकाह ब्लॉक स्तर पर भी हो सकते है, किन्तु जिले में एक तिथि में कुल संख्या **200** से अधिक नहीं होगी।)
2	यदि आवेदन में Non- BPL एवं भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल के श्रमिक पंजीकृत है तो उन प्रकरणों में क्या कार्यवाही अपेक्षित है ?	नवीन निर्देश सिर्फ सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना पर लागू है। अत: इसमें बी.पी.एल कार्ड आवश्यक है। अत: Non BPL इस योजना से लाभान्वित नहीं हो सकेंगे। किन्तु श्रम विभाग के भवन संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की विवाह सहायता योजना अंतर्गत होने वाले विवाहों में उनके द्वारा जारी निर्देशानुसार कार्यवाही करें।
3	**4** तिथियों का निर्धारण कैलेण्डर वर्ष के	तिथियों का निर्धारण वित्तीय वर्ष के अनुसार

	अनुसार रहेगा अथवा वित्तीय वर्ष के अनुसार ?	होगा।
4	3 तिथियों के अतिरिक्त 1 तिथि क्या जिले की समस्त निकायों के लिये लागू रहेगी अथवा निकाय की पृथक-पृथक तिथि निर्धारित की जा सकती है?	विभागीय ओदश दिनांक **29/04/2025** की कंडिका-2 स्पष्ट है। एक अतिरिक्त तिथि एक जिले के लिये निर्धारित की जायेगी। अत: उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
5	अनुसूचित क्षेत्र में भी 4 तिथियां क्या जिले की समस्त निकायों के लिये भी लागू रहेगी अथवा अनुसूचित क्षेत्र के निकायों के लिये पृथक-पृथक तिथि निर्धारित की जा सकती है? कृपया अनुसूचित क्षेत्र की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	जिलो के अधिसूचित, अनुसूचित क्षेत्र में **4** तिथियां जिले के अंतर्गत समस्त निकायों के लिये लागू रहेगी। निकायों के लिये पृथक से तिथि का निर्धारण नहीं किया जा सकेगा। अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों की सूची जनजातीय कार्य विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। **(https://www.tribal.mp.gov.in/cms/?page=smih00isXDuS3lZf2pkMzw%3D%3D)**
6	तिथियों का निर्धारण राज्य स्तर से किया जायेगा अथवा जिला स्तर से ?	तिथियों का निर्धारण राज्य स्तर से किया जायेगा।
7	यदि किसी निकाय में पोर्टल पर 200 आवेदन दर्ज हो जाते है तो 200 से अधिक आवेदन पोर्टल पर दर्ज करने का प्रावधान किया जाये अथवा नहीं	नवीन निर्देशों के तहत प्रथम पात्र **200** जोड़े का पोर्टल पर आवेदन का पंजीयन कराया जायें। शेष पात्र जोडो को अगली तिथि में शामिल किया जा सकता है।
8	DBT के बारे में विस्तृत जानकारी- बैंक का नाम , अकाउंट नं. , आईएफएससी कोड, विभाग का बैंक के साथ MOU XML file फारमेट इत्यादि ।	चुंकि संशोधित योजना दिनांक **15/05/2025** से प्रभावशील है, अत: तत्काल बैंक के साथ MOU किया जाना सम्भव नहीं है। कोषालय के माध्यम से देयक प्रस्तुत कर डी.बी.टी. के माध्यम से हितग्राही के खाते में राशि हस्तांतरित की जावेगी। भविष्य में बैंक के साथ **MOU** होने पर सूचित कराया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Digitally signed by
Sonali Ponkshe Vayangankar
Date: 16-05-2025 12:46:59

(सोनाली पोंक्षे वायंगणकर)

आयुक्त

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक/I/264165/2025 भोपाल, दिनांक 16.05.2025

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक माननीय मंत्रीजी सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर सूचनार्थ ।
2. समस्त कलेक्टर, जिला मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. समस्त संभाग आयुक्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
4. समस्त आयुक्त् नगर निगम मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. आयुक्त जनसंपर्क मध्यप्रदेश की ओर व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित ।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला/जनपद पंचायत मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
7. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिरकण विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें ।

16/05/2025

उप सचालक

वास्ते- आयुक्त

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, म.प्र.